

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- 6/वि01 - 1091/2008 - 2521 पटना - 15 दिनांक :- 13/10/17

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय - लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अधीन प्रशिक्षण -सह- शोध केन्द्र (प्रांजल) के संचालन एवं अन्य कार्यों हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में 20.00 लाख रुपये (बीस लाख रुपये) मात्र की राशि प्रशिक्षण -सह- शोध केन्द्र (प्रांजल) को सहाय्य अनुदान देने की स्वीकृति।

आदेश - स्वीकृत।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या - पी0 एच0 / बि0 ज0 स्व0 मि0 - 103/2006 - 462, पटना, दिनांक - 24-10-2007 द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अधीन प्रशिक्षण -सह- शोध केन्द्र (प्रांजल) के संचालन की स्वीकृति दी गई है।

2. बजट शीर्ष

इस योजना पर होने वाला व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष - 2215 जल पूर्ति तथा सफाई उपमुख्य शीर्ष - 02 मल-जल तथा सफाई लघु शीर्ष - 003 प्रशिक्षण - मांग संख्या - 36 उपशीर्ष - 0102 - बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को प्रशिक्षण -सह- शोध कार्य के संचालन एवं अन्य कार्यों हेतु अनुदान - विपत्र कोड - 36-2215020030102 - विषय शीर्ष - 0102.31.04 - सहायक अनुदान-वेतन तथा 0102.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण मतदेय शीर्षों में शामिल होना।

3. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, प्रशिक्षण -सह- शोध केन्द्र (प्रांजल) होंगे। उनके द्वारा प्रस्तुत विपत्र पर उप निदेशक (मूल्यांकन), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना का हस्ताक्षर प्राप्त कर वाला वित्तीय वर्ष 2017-18 में सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया गवन, बेली रोड, पटना से उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या - 2561 दिनांक - 17-04-98 में निहित अनुदेश के आलोक में की जायेगी। राशि की निकासी के पश्चात् टी0 भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को सूचित किया जायेगा। इस पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा।

4. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति निदेशक, प्रशिक्षण -सह- शोध केन्द्र (प्रांजल) द्वारा विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

5. भारतीय अंकक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने तथा जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

BMU

254

254/17

6. योजना एवं गैर योजना मदों में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभाग के सेकल्य संख्या - एम4-53/2007/3758 वि०, दिनांक - 31-05-17 के आलोक में इस योजना की स्वीकृति दी जाती है।
7. वर्ष 2017-18 के वार्षिक योजना उद्ब्यय एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।
8. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

S. Singh
12.10.2017
(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियन्ता प्रमुख -सह- विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 6/वि०1 - 1091/2008 - 252/ पटना - 15, दिनांक :- 13/10/17

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार / योजना एवं विकास विभाग / मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग / आयुक्त, पटना प्रमण्डल / जिला पदाधिकारी, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सचिव के आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख -सह- विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (रूपांकण) / निदेशक, प्रशिक्षण -सह- शोध केन्द्र (प्रांजल) / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो०) / कार्यपालक अभियन्ता (मो०) / उप निदेशक (मूल्यांकण) / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकण) / निदेशक, प० एम० यू० / सी० सी० डी० यू० / प्रशाखा - 4 / 6 / कम्प्यूटर प्रोग्रामर / आई० टी० मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/14

S. Singh
12.10.2017
(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियन्ता प्रमुख -सह- विशेष सचिव

(3) कर्णेश्वर मोहन
2/2